मुकदमा ..... नं०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5.10.24	पद्मावती साप्त लेख द्वारा अनुदान करोड़ रु० करके प्रार्थना पत्र के संबंध में अवगत हुआ सकारे है। कि ग्राम मोरवली जि० पं० हा० हमीरपुर तह० महोबा में स्थित खाता सं० नया 121 पुराना 41 में आराजी सं० क्र० 634 रकबा 0.1600, 636 रकबा 0.2100, 637 रकबा 0.0100, 638 रकबा 1.0800 कुल किता 4 कुल रकबा 1.4600 है० किसमें प्रार्थी 1/3 हिस्से का तथा सहप्रार्थी महेश्वर 1/3 हिस्से तथा सहप्रार्थी गोपाल सहित रामदेवी, निर्मला 1/9-1/9 हिस्से के एवं खाता संख्या नया 120 पुराना 45 में आराजी सं० क्र० 540 रकबा 0.7000, 639 रकबा 0.7000 640 रकबा 0.0100, 641 रकबा 0.2800, 642 रकबा 0.8300, 644 रकबा 0.5000, 645 रकबा 0.4600 656 रकबा 0.2400, 662 रकबा 0.3600, 667 रकबा 0.3600 कुल किता 10 कुल रकबा 5.1400 है० किसमें प्रार्थी व सहप्रार्थी महेश्वर 1/3-1/3 हिस्से के व सहप्रार्थी निर्मला 1/15 हिस्से की तथा सहप्रार्थी गण सहित रामदेवी, सहित गोपाल 2/15-2/15 हिस्से का हिस्सेदार खातेदार काश्तकार होकर काबिज आराजी है। प्रार्थी एवं सहप्रार्थी अब तक सम्मिलित रूप से अपने हिस्से के अनुसार काश्त करते हुए चला आ रहे हैं।	

डिप्टी कलेक्टर
(मुख्यालय)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
	अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता के कहा है कि उक्त आराजी गाँव गोरावीडा में स्थित है रकबा 662 बिघा 0.3600 से आदी का कोई लेना देना नहीं है ना ही अपीलार्थी का इस आराजी के किसी प्रकार का हिस्सा है रकबा 640 बिघा 0.0100 बाकी शान मोरवी डांग से अपीलार्थी का किसी प्रकार कोई लेना देना नहीं है उक्त रकबा 640 के अपीलार्थी सं 2-3 का खातेदार बोरिंग लगा हुआ है जो अपीलार्थीगण सं 2-3 ने अपने निजी प्रयासों से अपना खातेदार लगवाया है उक्त बोरिंग से अपीलीय का इस हद का कोई लेना देना नहीं है जाँच अपीलार्थी ने उक्त तथ्य-सत्य मजबूत पेश किया है जो स्वीकारयोग्य है।
12/9	विद्वान अभिभाषकगण को सुना पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली की जाँच से पता चला कि सुविधा का लेन-देन एवं अधूरी सीमा बाकी अपीलार्थी को हक में बखूबी साबित है।
16 1/2	अतः अपीलार्थीगण की रिपोर्ट उनकी आज्ञाई निर्धारणा दि. 4.4.24 को अपील खारिज की जाती है एवं कानूनी किया जाता है। प्रकरण पूर्व प्रोसेस अनुसार कार्यालय में वापस भेजा जावे। निर्णय लिखाया जाकर आज दि. 25.10.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

Tariq Anwar